मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *1
18.07.2022 को उत्तर के लिए

पर्यावरण प्रदूषण

***1. श्री संजय सेठ :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना बनाने का विचार रखती है;
(ग) क्या एक तरफ विकास कार्य तथा दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर होने वाली वनों की कटाई के दृष्टिगत नए वृक्ष लगाए जाने और पर्यावरण की व्यापक स्तर पर सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या विभिन्न माध्यमों से बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद है; और
(ड.) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिनके विरूद्ध झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानदंडों के उल्लंघन के कारण कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'पर्यावरण प्रदूषण' के संबंध में श्री संजय सेठ, माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 18.07.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *1 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है:

(i) प्रदूषण नियंत्रण योजना: प्रदूषण नियंत्रण योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में वायु की गुणवत्ता की निगरानी करने और वायु प्रदूषण के उपशमन के लिए उचित उपाय करने के अलावा देश में जल की गुणवत्ता और ध्वनि के स्तरों की निगरानी करना है। प्रदूषण नियंत्रण योजना वर्ष 2018 से संचालित है और इस योजना के तहत आने वाले घटकों का उल्लेख नीचे किया गया है:

क. कमतर क्षमता वाले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को प्रदूषण के उपशमन हेतु सहायता।

ख. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी)।

ग. पर्यावरणीय निगरानी नेटवर्क कार्यक्रम:

i. राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) केंद्रों का संचालन और अनुरक्षण।
ii. सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) का संचालन और अनुरक्षण।
iii. राष्ट्रीय परिवेशी ध्वनि निगरानी नेटवर्क (एनएएनएमएन)- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नए केंद्रों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण।
iv. राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी)।

घ. अनुसंधान और जन-संपर्क कार्यक्रम।

(ii) खतरनाक पदार्थों के लिए प्रबंधन संरचना का निर्माण: इस योजना का उद्देश्य खतरनाक रसायनों, खतरनाक अपशिष्टों और अन्य अपशिष्टों सहित खतरनाक पदार्थों के सुरक्षित प्रबंधन और उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचा जा सके। उक्त योजना वर्ष 2017 से संचालित है। इस योजना के तहत आने वाले घटकों का उल्लेख नीचे किया गया है:

क. **संपत्ति-** 'व्यापार पहलों के माध्यम से पूर्व-स्वामित्व वाली परिसंपत्ति का संधारणीय प्रबंधन': नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संभलाई और शोधन के लिए नवोन्मेषी समाधान।

ख. रसायनों और अपशिष्टों के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के संबंध में सरकारी एजेंसियों/संगठनों/विभागों/सिविल सोसाइटी/संस्थानों का क्षमता संवर्धन।

ग. विभिन्न अपशिष्ट और रसायन प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

घ. रसायनों और अपशिष्टों के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियां।

ड. जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) के प्रबंधन तथा खतरनाक अपशिष्ट (टीएसडीएफ) के शोधन, भण्डारण और निपटान के लिए केंद्र स्थापित करना।

(ग): देश में वन और वृक्षावरण की वृद्धि के लिए, केंद्रीय एवं राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जाती है। इनमें देश में अवक्रमित वन और निकटवर्ती क्षेत्रों को फिर से हरा-भरा करने हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और हरित भारत मिशन (जीआईएम) शामिल हैं। वनीकरण कार्यकलापों को विभिन्न कार्यक्रमों/विकास गतिविधियों के कारण वनों की कटाई के बदले में प्रतिपूरक वनीकरण निधियों जैसे निधीयन स्रोतों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति और कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन (एसएमएएफ), राष्ट्रीय बांस मिशन और राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के तहत भी शुरू किया जाता है।

(घ) और (ड.): सरकार द्वारा प्रदूषण के उपशमन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-VI मानकों की शुरूआत, ई-वाहनों को बढ़ावा, पीएनजी जैसे स्वच्छतर ईंधन का उपयोग, ईंट भट्टों के लिए मिश्रित प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्लास्टिक और ई-अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तदायित्व (ईपीआर), प्रमुख औद्योगिक सेक्टरों की वास्तविक समय निगरानी आदि शामिल हैं। मंत्रालय द्वारा विभिन्न नियम भी अधिसूचित किए गए हैं, जैसे-परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट प्रबंधन (एचडब्ल्यूएम) नियम, ई-अपशिष्ट नियम और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट नियम। इस संबंध में विभिन्न कठोर उत्सर्जन और निस्सरण मानक भी अधिसूचित किए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में क्रमश: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार औद्योगिक उत्सर्जन/बहि:स्राव निस्सरणों के मानकों के अनुपालन तथा संचालन संबंधी अन्य कार्यकलापों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, 267 उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

*****